स्पंज आयरन तथा रीरोलिंग मिलों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही

221. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की चालू एवं बन्द पड़ी स्पंज आयरन तथा रीरोलिंग मिलों के मालिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा करवाने के लिए 30 नवम्बर, 1995 तक शेष थी;

(ख) इस राशि को जमा करवाने के लिए किस-किस मिल मालिक पर कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है, भविष्य निधि के लिए वेतन में से राशि की कटौती कर लेने के बावजूद उसे जमा न करवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है; और

(ग) इन प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक दोषी मिल मालिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) 49.29 लाख रुपये।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अपने आप में सशक्त है। ऐसे नियोजक जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 7-क 8-ख से 8-छ, 14, 14-ख के अन्तर्गत कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। वेतन से कटौती किए जाने के बावजूद भविष्य निधि राशि जमा नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत कार्रवाही की जाती है। बकाया भविष्य निधि राशि और मालिक-वार की गई कार्रवाही के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भविष्य निधि राशि जमा नहीं करने पर मालिक-वार की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मिल का नाम	30.11.95 को स्थिति के अनुसार बकाया भविष्य निधि राशि (लाख रुपयों में)	चूक की अवधि	की गई कार्रवाई
1.	कन्सालीडेटेड स्टील, ग्वालियर	3.62	1/95 से 11/95	जांच/वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है कम्पनी औ० एवं वि० पुनर्नि०, बोर्ड के साथ पंजीकृत भी है।
2.	बिलासपुर कास्टिंगस, बिलासपुर	0.33	4/95 से 8/95	अधिनियम के अन्तर्गत जांच/वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
3.	प्रेम मेटलवर्क्स, बिलासपुर	0.07	9/88 से 12/90	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र निर्गत।
4.	दुर्गास्टील रिरोलिंग मिल्स, भोपाल	0.10	6/91 से 2/93	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र निर्गत। प्रतिष्ठान इस समय बन्द है।
5.	हीरा मेटेल रोलिंग मिल्स, इंदौर	0.22	8/92 से 12/92	राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत। प्रतिष्ठान इस समय बंद है।
6.	इन्दौर स्टील, प्रोडक्टस, इन्दौर	0.08	10/95 से 11/95	बकाया राशियां निर्धारित और धारा 8च के अन्तर्गत आदेश निर्गत।

क्रम सं०	मिल का नाम	30.11.95 को स्थिति के अनुसार बकाया भविष्य निधि राशि (लाख रुपयों में)	चूक की अवधि	की गई कार्रवाई
7.	हिम्मत स्टील, रायपुर	35.11	12/88 से 3/95	अभियोजन मामले दायर किए गए। प्रतिष्ठान और औ० एवं वि० पुनर्निमाण बोर्ड के साथ पंजीकृत भी है।
8.	ओसवाल इस्पात, रायपुर	2.35	10/82 से 9/91	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र निर्गत।
9.	अन्नपूर्ण गिलवाल्स, रायपुर	5.78	5/87 से 10/92	अभियोजन मामले दायर प्रतिष्ठान औ० एवं वि० पुनर्नि० बोर्ड के साथ पंजीकृत भी है।
10.	हिन्दुस्तान स्टील, रायपुर	0.52	8/89 से 2/91	राशि अब जमा करा दी गई है।
11.	डग्गा रिरोलिंग मिल्स, रायपुर	0.50	—	राशि अब जमा करा दी गई है।
12.	एम० पी० आयरन,भिलाई	0.26	3/91 से 6/91	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र निर्गत।
13.	सी० एम० रिरोलर्स, रायपुर	0.23	2/88 से 4/89	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र निर्गत।
14.	रुचि ट्रेड लिंक्स, साबर रोड़, इन्दौर	0.12	7/95 से 8/95	बकाया राशि निर्धारित और धारा-7क के अंतर्गत आदेश निर्गत।

Supply of Inferior quality items to fair price shops in Kamataka

222. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the supply of inferior quality items to Fair Price Shops in the country especially in the State of Kar-nataka; and

(b) if so, the steps Government have takeivpropose to take to ensure supply of good quality items under PDS?

THE MINISTER OF FOOD AND THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) Ministry of Food has not received any specific complaint from the State Governments about the supply of inferior quality of food-grains to Fair Price Shops in recent past. However the attention of Ministry of Food was drawn to deteriorated food-grains in one of the godowns of FCI at Bangalore during 1995 which had remained closed due to labour problem. The quality was checked and major quantity of rice stored in the godown was found issuable after cleaning^segregation.

(b) Government has already taken steps to ensure supply of good quality foodgrains under PDS. Some of these are as follow:—